रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 1993/कार्तिक 20, 1915
No. 667] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 1993/KARTIKA 20, 1915

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1993

का.आ. 859(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग) की अधिसूचना सं.का.आ. 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियमन जोन घोषित किया गया था और उक्त जोन में उद्योगों संक्रियाओं और प्रक्रियाओं की स्थापना तथा विस्तार पर निर्बंधन अधिरोपित किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने तटीय क्षेत्रों में पर्यटन और होटल सुविधाओं से संबंधित विषयों की जांच करने के लिए श्री बी. बी. वोहरा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी;

और उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर, 1992 को दी थी;

और केन्द्रीय सरकार रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् उक्त अधिसूचना में कतिपय संशोधन करना चाहती है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के साथ पठित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में प्रस्तावित संशोधनों का एक प्रारूप, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित करती है और यह सूचना दी जाती है कि प्रारूप संशोधन पर राजपत्र में उसके प्रकाशन से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

किसी ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप की बाबत इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त किए जाएं, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी। ऐसे आक्षेपों या सुझावों को सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कांपलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 के पते पर भेजा जाना चाहिए।

"प्रारूप संशोधन"

केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

(क) पैरा 1 में 'इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ उच्च ज्वार रेखा" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "खाड़ी अथवा पश्चजलों अथवा नदी की चौड़ाई, जो भी कम हो, से कम नहीं होगी" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, उच्च ज्वार रेखा से अभिप्रेत है भूमि पर की वह रेखा, जिस तक बृहत ज्वार के दौरान उच्चतम जल रेखा पहुंचती है और जिसका सीमांकन केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के महासर्वेक्षक के परामर्श से इस प्रकार प्राधिकृत सीमांकन प्राधिकारी द्वारा देश के सभी भागों में समान रूप से किया जाएगा ।

टिप्पण : नदियों, खाड़ियों तथा पश्चजलों के मामलों में उच्च ज्वार रेखा से दूरी दोनों ओर लागू होगी और उसका तटीय जोन प्रबंध योजना तैयार करते समय, प्रत्येक मामले के आधार पर, उन कारणों में जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उपांतरण किया जा सकेगा। तथापि, यह दूरी 50 मीटर से या खाड़ी, नदी या पश्चजल की चौड़ाई से, जो भी कम हो, कम नहीं होगी। वह दूरी, जिस तक नदियों, खाड़ियों और पश्चजलों के साथ-साथ विकास विनियमित किया जाएगा, उस दूरी द्वारा मापित होगी, जिस तक यथा-स्थिति, नदियों खाड़ियां या पश्चजलों में समुद्र के ज्वार का प्रभाव अनुभव किया जाता है और उसे तटीय जोन प्रबंध योजना में स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया जाना चाहिए—";

(ख) उपाबंध II के पैरा 7 के उपपैरा (1) में, मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्—

"(i) परियोजना प्रस्तावक उच्च ज्वार रेखा से भूमि की ओर 200 मीटर से भीतर तथा निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के मध्य के क्षेत्र के भीतर कोई संनिर्माण नहीं करेगा;

परन्तु केन्द्रीय सरकार, भौगोलिक विशिष्टताओं तथा संपूर्ण तटीय जोन प्रबंध योजनाओं का ध्यान रखते हुए और उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी शर्तों और निबंधनों के, जो वह ठीक समझे, अधीन रहते हुए कोई संनिर्माण अनुज्ञात कर सकेगी;

(ia) प्राइवेट संपत्तियों के चारों ओर विद्युतमय बाड़ और वर्षा-आच्छादन सहित कंटीली तार की बाड़ इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जा सकेगा कि ऐसी बाड़ से लोगों को तट तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंचेगी;

(ib) रेत के टीलों को समतल करने का कार्य नहीं किया जाएगा ;

(ic) गोल पोस्ट, नेट पोस्ट तथा लैम्प पोस्ट के संनिर्माण के सिवाय, खेल-कूद सुविधाओं के लिए कोई स्थायी संरचना अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(id) तहखानों का संनिर्माण इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जा सकेगा कि राज्य भूमि जल प्राधिकरण से इस आशय का निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है कि ऐसे संनिर्माण से उस क्षेत्र में भूजल के निर्बाध बहाव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य भूमि जल प्राधिकरण ऐसा निराक्षेप प्रमाणपत्र प्रदान करने के पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों पर विचार करेंगी,

(ie) फ्लोर स्पेस इंडेक्स का परिकलन पूरे भूखंड के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : यद्यपि विकास-स्तर जोन में कोई संनिर्माण अनुज्ञात नहीं है, फिर भी फ्लोर स्पेस इंडेक्स के परिकलन के प्रयोजनों के लिए पूरे भूखंड के क्षेत्रफल को, जिसके अंतर्गत वह भाग भी है, जो विकास-स्तर जोन के भीतर आता है, हिसाब में लिया जाएगा।"।

[सं. के-15019/1/84-आई ए.-3]
आर. राजामणि, सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Department of Environment, Forests and Wildlife)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 1993

S.O. 859(E).—Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Environment and Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife) No. S.O. 114(E), dated the 19th February, 1991 (hereinafter referred to as the said notification) Coastal Stretches were declared Coastal Regulation Zones and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone;

And whereas the Central Government constituted an Expert Committee under the Chairmanship of Shri B. B. Vohra to examine the issues relating to tourism and hotel facilities in the coastal areas;

And whereas the said Committee gave its report on 31st December, 1992;

And whereas the Central Government after consideration of the report proposes to make certain amendments in the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment Protection Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment Protection Rules, 1986; the Central Government hereby publishes a draft of the proposed amendments to the said notification for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the draft amendments will be taken into consideration on or after the expiry of sixty days from the date of its publication in the Official Gazette;

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government. Such objections or suggestions should be addressed to the Secretary to Government of India, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodai Road, New Delhi-110003.

"DRAFT AMENDMENTS"

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment Protection Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Environment and Forests No. S.O. 114(E), dated the 19th February, 1991, namely :—

(a) in paragraph 1, for the portion beginning with the words "For purposes of this notification, the High Tide Line" and ending with the words "width of the creek, river or back water whichever is less", the following shall be substituted, namely :—

"For the purposes of this notification, the High Tide Line means the line on the land upto which the highest water line reaches during the spring tide and shall be demarcated uniformly in all parts of the country by the demarcating authority so authorised by the Central Government in consultation with the Surveyor General of India.

Note : The distance from the High Tide Line shall apply to both sides in the case of rivers, creeks and back waters and may be modified on a case by case basis for reasons to be recorded while preparing the Coastal Zone Management Plans. However, this distance shall not be less than 50 metres or the width of the creek, river or back-water whichever is less. The distance upto which development along rivers, creeks and back-waters is to be regulated shall be governed by the distance upto which the tidal effect of sea is experienced in rivers, creeks or back-waters, as the case may be, and should be clearly identified in the Coastal Zone Management Plans";

(b) in Annexure II, in paragraph 7, in sub-paragraph (1) for item (i), the following items shall be substituted, namely :—

"(i) The project proponent shall not undertake any construction within 200 metres in the land-ward side from the High Tide Line and within the area between the Low Tide and High Tide Lines :

Provided that the Central Government may, after taking into account geographical features and oveall Coastal Zone Management Plans, and for reasons to be recorded in writing, permit any construction subject to such conditions and restrictions as it may deem fit;

(ia) live fencing and barbed wire fencing with vegetative cover may be allowed around private properties subject to the condition that such fencing shall in no way hampers public access to the beach;

(ib) no flattening of sand dunes shall be carried out;

(ic) no permanent structures for sports facilities shall be permitted except construction of goal posts, net posts and lamp posts;

(id) construction of basements may be allowed subject to the condition that no objection certificate is obtained from the State Ground Water Authority to the effect that such construction will not adversely affect free flow of ground water in

that area. The State Ground Water Authority shall take into consideration the guidelines issued by the Central Government before granting such no objection certificate;

(ie) The Floor Space Index shall be calculated on the basis of the area of the entire plot.

Explanation :—Though construction is allowed in the No Development Zone, for the purposes of calculation of Floor Space Index, the area of entire plot including the portion which falls within the No Development Zone shall be taken into account".

[No. K-15019 1|84-IA III]

R. RAJAMANI, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993